न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 04 / 2018

सौराब खां उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत खोहरी तहसील नगर जिला भरतपुर

.....

अपीलान्ट

बनाम

उपखण्ड अधिकारी,नगर जरिये पैरोकार रसद

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी,नगर दिनांक 8–1–2018 बाबत निलम्बित किये जाने प्राधिकार पत्र

निर्णय **दिनांक 8.3.2018**

अपीलान्ट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी नगर के आदेश दिनांक 8–01–2018 के खिलाफ पेश की गई है। उपखण्ड अधिकारी नगर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी नगर के उक्त निलम्बित आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार रसद उपस्थित। इसी दरम्यान एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 रुल10 सीपीसी प्रार्थी जफरु पुत्र ईशाक जाति मेव ग्रांम वासडायना की ओर से उनके अभिभाषक धमेन्द्र सिंह ने बाबत बनाये जाने पक्षकार मुकदमा पेश किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी जफरु का कहना है कि प्रार्थी की शिकायत पर डीलर के खिलाफ कार्यवाही की गई है प्रार्थी को पक्षकार मुकदमा बनाया जावे, उन्होने यह भी बताया कि प्रार्थी गेंहू का गबन किया है। उपखण्ड अधिकारी ने डीलर को सही निलम्बित किया है। अपील खारिज की जावे।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि उपखण्ड अधिकारी नगर ने अपीलाधीन आदेश नियमों के विपरीत पारित किया है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि उपखण्ड अधिकारी नगर ने इसी पत्रावली में पूर्व में भी अपीलान्ट को दिनांक 3.6.2016 को निलम्बन किया गया था। उपखण्ड अधिकारी नगर ने अपने आदेश दिनांक 17.10.16 से पुनः बहाल किया जाकर जॉच जारी रखी। योग्य अभिभाषक ने बताया कि बिना कोई जॉच किये अपीलान्ट को गेंहू गबन का दोषी मानते हुये पुनः अपने आदेश दिनांक 8.1.2018 से निलम्बन कर पत्रावली कानूनी कार्यवाही हेतु जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भिजवाने का

आदेश दिया गया। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने पुनः पत्रावली उखण्ड अधिकारी नगर को डीलर के खिलाफ कार्यवाही करने को सक्षम बताते हुये पत्रावली लौटाई दी गई। तहत न्यायालय द्वारा अभी जॉच पूर्ण नहीं की गई है। बिना किसी साक्ष्य सबूत के अपीलान्ट को गेंहू गबन का दोषी मान लिया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर सप्लाई बहाल किये जाने की आज्ञा दी जावे।

पैरोकार रसद ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी नगर ने पहले भी अपीलान्ट को निलम्बित किया गया था। दिनांक 17.10.16 को निलम्बन से बहाल किया गया। पैरोकार रसद का कहना है कि दौराने जॉच बिना कोई जॉच किये पुनः दिनांक 8.1.18 को निलम्बन किया जाकर पात्रावली को जिला रसद अधिकारी को भिजवाई गई है। जब कि डीलर के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु स्वयं एस.डी.ओ.नगर सक्षम अधिकारी है इसलिये पत्रावली वापिस एस.डी.ओ. नगर को भिजवाई दी गई। पुनः निलम्बन गलत किया गया है। प्रकरण को जॉच पूर्ण कर मैरिट पर निर्णय लिये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथमतः प्रार्थना आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर विचार किया गया। प्रार्थी जफरु तहत न्यायालय में प्रकरण में पक्षकार नहीं था। अपील निलम्बन आदेश के खिलाफ पेश की गई है जिससे प्रार्थी जफरु किसी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 1रुल10सीपीसी काबिल निरस्त के रहता है।

तहत पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट डीलर को दिनांक 3.6.16 को निलम्बन किया गया है। आदेशिका दिनांक 17.10.2016 में डीलर को जॉच लम्बित रखते हुये निलम्बन बहाल किये जाने का उल्लेख है तथा तारीखी पेशी दिनांक 18.11.16 नियत की गई है। नियत दिनांक 18.11.16 की आदेशिका में ई.आई.की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है का उल्लेख करते हुये आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.3.17 नियत की गई है। नियत तारीख पेशी दिनांक 31.3.17, दिनांक 20.9.17, दिनांक 27.11.16 व दिनांक 11.12.17 की आदेशिकाओं में पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं का उल्लेख करते हुये तारीख पेशी दी गई हैं। आदेशिका दिनांक 8.1.2018 में अंकित है कि :—

> ''.....पत्रावली आज प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रस्तुत हुई पत्रावली एवं निरीक्षक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया मुताविक रिपोर्ट प्रतर्वन निरीक्षक एफपीएस द्वारा फर्जी रिकार्ड संधारित कर 375 केजी गेंहू का गबन किया जाकर राज्य सरकार को राजस्व हानी पहुंचाई है अतः सोराव खां एफपीएस 1/2 भाग ग्रांम पंचायत खोहरी का अनुज्ञापत्र 90 दिवस हेतु निलंबित किया जाता है चूँकि प्रकरण में गेंहू का गबन हुआ है अतः पत्रावली कानूनी कार्यवाही हतु जिला रसद अधिकारी महोदय भरतपुर को सम्प्रेषित हो.....।''

इससे यह स्पष्ट है कि डीलर को पूर्व में पेंडिग जॉच बहाल किया गया था। तहत पत्रावली आदेशिका से जाहिर है कि तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 8.1.2018 को जो पारित की गई है वह इकतरफा में पारित की गई है। जब डीलर को पेंन्डिग जॉच पूर्व में बहाल किया गया है तहत न्यायालय को डीलर के खिलाफ जॉच

पूर्ण कर मैरिट पर गुणावगुण के आधार पर अन्तिम निर्णय लेना चाहिये था। डीलर को कारण बताओ नोटिस देते हुये जबाब, साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर दिया

जाकर मैरिट पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित ना कर प्रकरण पुनः पूर्व की स्टेज स्थापित कर दी गई है जिसे सही नहीं माना जा सकता है। ऐसे आदेश को हम समर्थन योग्य नहीं पाते हैं। अस्तु अपील स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.1.2018 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से (सप्लाई) बहाल किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नगर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर देते हुये गुणावगुण के आधार पर मैरिट पर निर्णय पारित करें। प्रार्थी जफरू पुत्र ईशाक तहत न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने को स्वतन्त्र है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस उपखण्ड अधिकारी नगर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.3.2018 को सुनाया गया ।

(डा.एन.के. गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official